छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 3-6-2003
7-6-2003

कमांक एफ-14-2/03/(6)/11-3 ..........राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी "छत्तीसगढ राज्य लागत पूंजी सहायता नियम -2001" निम्नानुसार लागू करता है ।

(1) **परिचय :-**

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के लोगों को उद्योग स्थापना में प्रोत्साहन देने के लिये लागत पूंजी सहायता देने की योजना 1 नवम्बर 2001 से सम्पूर्ण राज्य में लागू की गई है । इस योजना का लाभ दिनांक 1.11.2001 को या उसके पश्चात अनु सूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित नवीन उद्योगों को प्राप्त होगा ।

(2) **नियम :-**

ये नियम "अनूसूचित जाति / जनजाति वर्ग हेतु छत्तीसगढ राज्य लागत पूंजी सहायता नियम 2001" कहे जावेगें ।

(3) **परिभाषाऐं :-**

इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, मध्यम / वृहद उद्योग, लद्यु उद्योग, अनुसूचित जाति-जनजाति, अनुसूचित जाति / जनजाति द्वारा स्थापित / प्रस्तावित उद्योग, स्थायी पूंजी निवेश, भूमि, भूमि विकास, प्लांट एवं मशीनरी, लीज प्लांट एवं मशीनरी एवं उपकरण, स्थायी पूंजी निवेश की गणना आदि की वही परिभाषाएं मान्य होगी जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क0 (एफ-14-2/03/06/11-1 दिनां0 03/07/06/03) ........ के द्वारा जारी की गयी है ।

(4) **अनुदान की मात्रा :-**

अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित नवीन उधोगों को उनके स्थाई पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत लागत पूंजी सहायता के रूप में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा । यदि अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के द्वारा स्थापित उधोग शत प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग की महिलाओं द्वारा स्थापित है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दी जावेगी अर्थात सहायता की दर 35 प्रतिशत होगी ।

(5) **योजना का कियान्वयन व सहायता वितरण एजेन्सी :-**

योजना का क्रियान्वयन उधोग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा । योजना के अनतर्गत राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक.................. दिनांक .................. में सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी की परिभाषा में उल्लिखित वित्तीय संस्थान भी सहायता वितरण एजेन्सी होगें ।

(6) **पात्रता :-**

6.1- राज्य के अनसूचित जाति / जनजाति वगे के द्वारा स्थापित नवीन उधोगों को ही लागत पूंजी सहायता की पात्रता होगी ।

6.2- इस योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक के 1 वर्ष के अंदर पूर्ण आवेदन देने वाले स्थापित उधोगों को ही अनुदान की पात्रता होगी । निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन करने वाले उधोगों को योजना के अन्तर्गत अपात्र मानकर प्रकरण निरस्त किया जावेगा ।

6.3– स्ववित्त पोषित उधोगों को भी योजना अन्तर्गत पात्रता होगी ।

6.4– इस योजना के अर्न्तगत औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित नवीन उद्योगों को ही योजना का लाभ मिलने की पात्रता होगी ।

6.5– उन उद्योगों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जो बिन्दू कमांक 6.4 में नही आते है किन्तु वे निजी भूमि होने की स्थिति में नगर निगम / नगर पालिका सीमा से बाहर स्थापित हो अथवा जिन्हें उद्योग विभाग या उसकी किसी एजेन्सी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भूमि उपलब्ध कराई गई हो

6.6– यदि यह पाया जाता है कि आवेदक / औद्योगिक इकाई द्वारा गलत / त्रुटिपूर्ण ढंग से, मिथ्या वर्णन करके अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत ढंग से अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, गलत शपथ पत्र दिया हो, अनुसूचित जाति / जनजाति द्वारा स्थापित / प्रस्तावित उद्योग की परिभाषा में आ गया हो अथवा इस आधार पर यह सहायता प्राप्त कर ली हो तो इस योजना के अन्तर्गत पात्रता स्वंयमेंव समाप्त हो जावेगी तथा समस्त सहायता राशि ब्याज सहित एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी ।

6.7 लागत पूंजी सहायता की सुविधा राज्य शासन भारत सरकार / वित्तीय संस्थाओं / बोर्ड / लघु उद्योग विकास बैंक आदि, जहां भी लागत पूंजी सहायता मिलती हो,में से किसी एक स्त्रोत से ही ली जा सकेगी । इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु उद्यमी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने अन्य किसी स्त्रोत से लागत पूंजी सहायता नही ली है न ही आवेदन किया है एवं न ही, इस योजना के अंन्तर्गत सहायता प्राप्त होने पर लेगें ।

## (7) <u>प्रकियाः–</u>

<u>(एक)–</u> इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित सहपत्रों के साथ उधोग आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन देना होगा ।

(क) प्रस्तावित लघु उधोग पंजीयन प्रमाण प्रत्र / आई.ई.एम /आशय पत्र / औद्योगिक लायसेंस (जैसी स्थिति हो)

(ख) स्थायी लघु उधोग पंजीयन प्रमाण पत्र /उत्पादन प्रमाण पत्र

(ग) वित्तीय संस्थान / बैक द्वारा स्वीकृत ऋण प्रमाण पत्र

(घ) लघु उधोगो के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाईल व मध्यम –वृहद उधोगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(ड़) अनुसूचित जाति / जनजाति होने से सबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र

(च) स्थायी पूंजी निवेश सबंधी तिथिवार,मदवार निवेशित व्ययों की सूची

(छ) रू0 1,00,000/– से अधिक का अनुदान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र / चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र

(ज) बिन्दू कमांक 6.7 सबंधी शपथ पत्र

(झ) औद्योगिक इकाई का छत्तीसगढ के मूल निवासी एवं राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति से सबंधित होने का शपथ पत्र

कियान्वयन एजेन्सी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा व अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर सम्पूर्ण प्रकरण जिला स्तरीय समिति / राज्य स्तरीय समिति को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया जावेगा । रूपये 5 लाख तक के अनुदान प्रकरणों में जिला स्तरीय समिति द्वारा एवं इससे अधिक अनुदान वाले प्रकरणों में राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा

(दो ) समितियों का स्वरूप :–

(अ) जिला स्तरीय समिति :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | कलेक्टर | अध्यक्ष |
| (ख) | संयुक्त संचालक उधोग–संभागीय उद्योग अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| (ग) | लीड बैक अधिकारी | सदस्य |
| (घ) | जिला कोषालय अधिकारी | सदस्य |
| (ड़) | महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र | सदस्य सचिव |

(ब) राज्य स्तरीय समिति :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) | उधोग आयुक्त | अध्यक्ष |
| (ख) | प्रबंध संचालक, / अतिरिक्त प्रबंध संचालक,सी0एस0आई0डी0सी0 | सदस्य |
| (ग) | महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय,रायपुर | सदस्य |
| (घ) | अपर संचालक उधोग ,उद्योग संचालनालय | सदस्य सचिव |

(तीन) समितियों का कोरम 3 का होगा तथा योजना के कियान्वयन हेतु समितियों के सदस्य सचिव के कार्य अधिकार व दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

(क) योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना,कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना ।

(ख) योजना के अर्न्तगत प्राप्त क्लेमों का संकलन करना / समितियों से प्रकरणों का निपटारा करना

(ग) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना ।

(घ) दावों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना ।

(ड़) योजना के कियान्यवयन में योजना के तहत अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग की निर्धारित परिभाषा के संदर्भ में यदि यह पाया जाता है कि सबंधित औधोगिक इकाई, द्वारा मिथ्या पूर्ण ढंग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था जिसके आधार पर उसे इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हो गई तो इसका उत्तरदायी सदस्य सचिव नही होगा । वरन यह समिति का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा ।

(च) जिला स्तरीय समिति प्रति माह निर्धारित प्रारूप में प्रगति पत्रक तैयार कर राज्य समिति को अग्रषित करेगी । इसी प्रकार योजना के सफल कियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दूओं को राज्य स्तरीय समिति को सन्दर्भित करेगी जिस पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा जिसका पालन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा ।

(चार ) (क) जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति में प्रकरणों का निराकरण होने के पश्चात् स्वीकृति की दशा में संबंधित वितरण एजेन्सी द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वीकृत परियोजना लागत एवं स्वीकृत अनुदान राशि का उल्लेख होगा ।

(ख) स्वीकृत आदेश के साथ औद्योगिक इकाई व राज्य शासन के मध्य होने वाले अनुबंध का एक प्रारूप संलग्न होगा । यह अनुबंध राज्य शासन की ओर से महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा निष्पादित व पंजीकृत किया जावेगा । पंजीयन संबंधी व्यय औद्योगिक इकाई द्वारा ही किया जावेगा ।

(ग)– यदि भारतीय कंपनी अधिनियम के अनतर्गत निगमित किसी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी । प्रकरण निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश भी सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण भी दर्शाया जावेगा ।

(पांच ) अनुबंध निष्पादन/पंजीयन के पश्चात् संबंधित वितरण एजेन्सी द्वारा अनुदान का वितरण, विभागीय आवंटन उपलब्ध होने पर किया जावेगा । विभागीय आवंटन उपलब्ध न होने पर विलम्ब से भुगतान हेतु राज्य शासन का कोई दायित्व नहीं होगा ।

(छः ) अपील – जिला स्तरीय समिति के आदेश पारित होने के 30 दिवसों के अंदर राज्य स्तरीय समिति को अपील की जा सकेगी व राज्य स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इकाई द्वारा 30 दिवस के अन्दर राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अपील की जा सकेगी, जिसका निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा ।

(8) अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–

अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाईयों के दायित्व होंगे –

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने रू. 1,00,000, से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें अनुदान वितरण एजेन्सी को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से को 5 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विकय विवरण प्रस्तुत करने होगे । रू. 1,00,000 से कम अनुदान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन व विकय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उधोग चालू रखना होगा । नियंत्रण से परे कारणों के कारण उधोग का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उधोग बंद की श्रेणी में नही माना जावेगा । नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा ।

(3) विभाग से भिन्न वितरण एजेन्सी होने पर वितरण एजेन्सी द्वारा अनुदान का वितरण कर इसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग संचालनालय से क्लेम किया जावेगा तथा विभागीय आवंटन उपलब्ध होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जावेगी विभागीय आवंटन न होने अथवा अपर्याप्त होने के कारण प्रतिपूर्ति में विलंब की स्थिति में शासन का कोई भी दायित्व नही होगा ।

(4) लागत पूंजी सहायता का वितरण होने के पश्चात् पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा न ही फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही स्वमित्व परिवर्तन किया जा सकेगा । उद्योग आयुक्त द्वारा प्रकरण के गुण– दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

(9) लागत पूंजी सहायता की वसुली:–

लागत पूंजी सहायता की वसूली निम्नानुसार स्थितियों में की जा सकेगी –

(1) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर अनुदान प्राप्त कर लिया गया हो ।

(2) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है ।

(3) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पांच वर्षों के पहले उद्योग बंद कर दिया जाए ।

(4) अनुदान वितरण एजेंसी द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

(5) वार्षिक रूप से उत्पादन व विकय संबंधी जानकारी अंकेक्षित लेखे वितरण एजेंसी को नियमित रूप से प्रस्तुत न किये जायें ।

(6) यदि औधोगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो तो आधिक्य भुगतान की राशि की वसुली की जा सकेगी ।

(7) लागत पूंजी सहायता राशि की वसूली एकमुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी

(10) योजना के अन्तर्गत किसी बिन्दु पर विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।

(11) इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ही किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
(12) योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

07/6/03

(अमिताभ जैन )
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर